प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 285/2023 दिनांक 01/11/2023

2. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7,7ए

(2) अधिनियम आईपीसी धाराऐं 120बी

(3) अधिनियम धाराऐं

(4) अन्य अधिनियम एवं धाराऐं

3. (क) घटना का दिन :– मंगलवार दिनांक :– 31.10.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 28.10.2023 समय :– 11.25 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 16 समय 6:15 p.m.

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 03 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पूर्व दिशा बीट संख्या जुरामदेही सं
(ख) पता:– कार्यालय आबकारी निरीक्षक, वृत्त कार्यालय, झालावाड़ का कक्ष जिला झालावाड़ (राज0)
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम जिला

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री राहुल
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री सूरजमल जाति तेली
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 28 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या जारी करने की तिथि जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– 4, बसेड़ा मोहल्ला, झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0)

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन सिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सांवतगढ़ थाना देवली जिला टोंक राज0 हाल प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ (राज0) व
2. श्री योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्य: – 4,000 रूपये
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 28.10.2023 समय 11.25 एएम पर परिवादी श्री राहुल पुत्र श्री सूरजमल जाति तेली उम्र 28 वर्ष निवासी 4, बसेड़ा मोहल्ला, झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया। परिवादी श्री राहुल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं

उस पर स्वय के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री राहुल ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि वह लगभग एक वर्ष से खण्डिया चौराहा के निकट स्थित श्रीमती कुसम कंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु के नाम वर्ष 2023–24 के लिए आवंटित लाईसेंस शुदा अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समेन का कार्य कर रहा है। श्रीमती कुसम कंवर ने जरिये नौकरनामा उसको दुकान पर शराब बैचने के लिए सेल्समेन नियुक्त कर रखा है। यह दुकान श्रीमती कुसम कंवर के पति श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु व उसके पार्टनर श्री महेन्द्र बना द्वारा चलाई जा है। श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी आबकारी थाना, झालावाड़ आये दिन शराब की दुकान पर आकर मुझसे प्रतिमाह 2,000रूपये मासिक बंधी की मांग करते है तथा मासिक बंधी नहीं देने पर शराब की दुकान पर केस बनाने की धमकी देते है। इस पर मैंने कहा कि साहब मैं तो सेल्समेन हूं। मैं मालिक से बात कर आपको जवाब दे दूंगा। इस पर मैंने यह बात श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु व श्री महेन्द्र बना को बताई तो उन्होने भी दुकान का लाईसेंस निरस्त होने व केस बनाने के डर की वजह से मुझे दो माह के 1500रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 3,000रूपये श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) को देने के लिए कहने पर मैंने अगस्त माह में 3,000रूपये श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) को मासिक बंधी के दे दिये थे। परन्तु 3,000रूपये मासिक बंधी लेने के बाद भी श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) ने मुझसे कहा कि अप्रेल महिने से ही हिसाब–किताब होगा। इस पर मैंने कहा कि साहब दुकान मालिक से बात करके आपका हिसाब कर देगें। उसके बाद मेरे द्वारा मासिक बंधी के पूरे रूपये नहीं देने पर श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा शराब की दुकान पर आकर मुझे कई बार धमकाया कि तू भी सुन ले और तेरे मालिक को भी बता देना और कहा कि तुम्हारी शराब की दुकान के अप्रेल से अक्टूंबर तक के 07 माह के हिसाब से 10,500रूपये बंधी के बकाया थे जिसमें से तुमने अभी तक केवल 3,000रूपये ही दिये है। शेष 7,500रूपये जल्दी ही नहीं दोगें तो देख लेना अब हमारे नये आबकारी अधिकारी जी भी आ गये है। जल्दी शेष मन्थली राशि के रूपये दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी दुकान का केस बनाकर के ही बताउंगा। मैंने श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) साहब से हाथाजोड़ी की तथा कहा कि साहब बाकी के रूपये जल्दी ही दे देगें। दुकान पर पेनेल्टी लगने की वजह से 5–6लाख रूपये खर्च हो गये फिर भी दुकान मालिक से बात करके आपका हिसाब कर दूंगा। आप नाराज मत होवो। मुझे थोड़ा सा समय दो। इसके बावजूद भी वह मुझे धमकाकर चले गये। इसके बाद मेरे द्वारा मासिक बंधी के शेष 7,500रूपये नहीं देने पर आये दिन श्री योगेश प्रजापति के मोबाईल नं0 9571475414 से मेरे मोबाईल नं0 7727977888 पर कॉल कराकर या कभी–कभी अचानक दुकान पर आकर बंधी देने के लिए दबाव बना रहे है। मैं श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी को उनके द्वारा मांगी गई मंथली राशि के 7,500रूपये की रिश्वत के रूप में नहीं देना चाहता हूं तथा उन्हें रिश्वत राशि के 7,500रूपये लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरी श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी से कोई पुरानी रंजिश नहीं है तथा ना ही उधारी का कोई लेनदेन बकाया है। मुझे ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु अंग्रेजी शराब की दुकान के मालिक श्रीमती कुसम कंवर के पति श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु बना तथा श्री महेन्द्र बना ने दुकान का सेल्समेन होने के कारण अधिकृत कर रखा है। परिवादी श्री राहुल ने यह भी बताया कि श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी अभी आबकारी थाना में ही मौजूद है। परिवादी श्री राहुल द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 11:50 एएम पर श्री शिवराज कॉनि0 नं0 166 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चेक किया जाकर उसमें मेमोरी कार्ड डालकर परिवादी श्री राहुल को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी के पास आबकारी थाना झालावाड़ मय ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री राहुल के साथ–साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये। समय 12:40 पीएम पर परिवादी श्री राहुल तथा श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये तथा श्री देवदान सिंह कानि0 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड पेश किया। परिवादी श्री राहुल से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान सिंह कानि0 के बताया कि आपके निर्देशानुसार हम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों पर बैठकर झालीवाल चौराहा, झालावाड़ पहुंचे। जहां पर मैंने देवदान सिंह जी को गली में उनकी मोटरसाईकिल खड़ी इंतजार करने के लिए बताया तथा मैं आबकारी थाना झालावाड़ के लिए आरोपीगणों से वार्तालाप करने के लिए रवाना हुआ तथा मेरे द्वारा आबकारी थाना में प्रवेश करने से पूर्व ही आप द्वारा सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था। मैं आबकारी थाने में गया तो वहां श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर मिला। मैंने उनसे बातचीत करनी चाही तो उसने कहा कि थाने में अन्दर चला जा। इस पर मैं थाने में गया तथा एक महिला से पूछा कि पीओ साहब से मिलना है तो

उन्होने मुझे कहा कि बैठ जाओ अभी आयेगें। इस पर पीओ साहब श्री हुकमसिंह जी मेरे पास आये तथा कहा कि तुम्हारी योगेश से बात हो गयी ना। इस पर मैंने कहा कि उन्होने आपके पास भेज दिया है। मैंने पीओ साहब से कहा कि साहब 7,500रूपये बन रहे है, पर मैं 4,000रूपये दे दूंगा। मेरी चंगु बना व महेन्द्र बना से बात हो गई है उन्होने 4,000रूपये के लिए कहा है। इस पर आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ ने मुझे 4,000रूपये मांगे तथा मेरे द्वारा अभी नहीं होने का कहने पर गालियां देकर भगा दिया और कहा कि पैसा लेकर के आना। इस पर मैं आबकारी थाने से बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर बन्द कर रवाना होकर झालीवाल चौराहा के पास गली में श्री देवदान सिंह जी के पास आया तथा उनको डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर सारी बात बताई व कहा कि आरोपी पीओ ने 4,000रूपये मांगे है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान पांच माह की मासिक बंधी के 7,500रूपये की जगह 4,000रूपये लेने पर सहमत हो गये है। रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप के दौरान मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर श्री योगेश व श्री हुकमसिंह पीओ साहब से हुई वार्तालाप को रिकॉर्ड कर लिया है। उसके बाद हम दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर आपके पास ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये है। परिवादी श्री राहुल द्वारा बताये गये कथनों की हमराह निगरानी हेतु गये कानि0 श्री देवदान सिंह द्वारा भी पुष्टि की गई। परिवादी श्री राहुल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया कि वह किसी कार्य से सोमवार दिनांक 30.10.2023 तक बाहर रहेगा। सोमवार सांय तक आरोपीगणों के बारे में पता कर ट्रेप कार्यवाही के लिए मंगलवार दिनांक 31.10.2023 को ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 4,000रूपये लेकर उपस्थित हो जायेगा। परिवादी को अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में पूर्णतया गोपनीयता बरतने तथा आरोपीगणों के बारे में जानकारी कर रिश्वत राशि लेकर दिनांक 31.10.2023 को ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा सुपुर्द किये गये रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाना में रखने की हिदायत दी गई। दिनांक 30.10.2023 समय 05.00 पीएम पर परिवादी श्री राहुल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये व्हाट्सएप कॉल कर अवगत कराया कि आरोपीगण श्री हुकमसिंह पीओ व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी दिनांक 31.10.2023 को आबकारी थाना झालावाड़ पर ही मौजूद मिलेगें उसके मोबाईल पर श्री योगेश प्रजापति द्वारा अपने मोबाईल से कॉल कर बताया कि श्री हुकमचन्द पीओ साहब ने कल मासिक बंधी के 4,000रूपये लेकर आबकारी थाने पर बुलाया है। दिनांक 31.10.2023 को ट्रेप कार्यवाही करने के सम्बंध दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग वृत्त, झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक एसपीएल–02 दिनांक 30.10.2023 मुर्तिब कर श्री शिवराज कानि0 166 को पत्र देकर कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग वृत्त, झालावाड जाकर गवाहान को पाबन्द कराने हेतु रवाना किया गया। समय 05:45 पीएम पर श्री शिवराज कानि0 166 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग वृत्त, झालावाड़ के श्री हर्ष प्रजापति पुत्र स्व0 श्री भवानीराम उम्र 20 साल जाति कुम्हार निवासी नीमबारी गेट के पास झालरापाटन जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक व श्री दीपक मोदी पुत्र स्व0 श्री देवीलाल मोदी उम्र 58 साल जाति तम्बोली निवासी तम्बोली मोहल्ला, झालावाड़ जिला झालावाड़ हाल सहायक कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग उपखण्ड, झालावाड को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय पाबन्द शुदा सरकारी गवाहो का पत्र क्रमांक 4016–22 दिनांक 30.10. 2023 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया। जिसको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 31.10.2023 समय 08.40 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति हाल कनिष्ठ सहायक व श्री दीपक मोदी हाल सहायक कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग उपखण्ड, झालावाड ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत करवाया गया। समय 08.50 एएम पर पाबन्दशुदा परिवादी श्री राहुल ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने वाली रिश्वत राशि 4,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपीगण अपने आबकारी थाने पर ही मौजूद मिलेगे तथा वह मुझसे पूर्व में हुई वार्ता अनुसार रिश्वत राशि प्राप्त कर लेगें। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति कनिष्ठ सहायक व श्री दीपक मोदी सहायक, कार्यालय सहायक अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियंता विभाग उपखण्ड, झालावाड से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री राहुल द्वारा दिनांक 28.10.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग करने हेतु साथ रहने की सहमति दी। समय 09:00 एएम पर परिवादी श्री राहुल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाह को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 28.10.2023 को परिवादी श्री राहुल की आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर

संविदाकर्मी आबकारी थाना, झालावाड़ से आपस में रिश्वत राशि मांग से सम्बंधित गोपनीय वार्तालाप हो चुकी है, जो इस डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 28.10.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री राहुल के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री राहुल ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ, तीसरी आवाज श्री योगेश कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी तथा चौथी अन्य आवाज किसी महिला की होना बताया। उक्त वार्ता की मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 से हूबहू जरिये कम्प्यूटर से टाईप करवाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10:30 एएम पर परिवादी श्री राहुल ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी के समक्ष अपने पास से 4,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 08 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई जाकर उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट 500–500 रूपये के कुल 08 नोट राशि 4000/–रूपये सुपुर्द कर उसके द्वारा ही रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोलफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री हर्ष प्रजापति से परिवादी श्री राहुल की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री राहुल की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी, आबकारी थाना, झालावाड़ द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उन्हे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व में आरोपीगण से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहां रखते अथवा छुपाते हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपीगण द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात् अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोलफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोजल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी एवं परिवादी राहुल को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोलफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोलफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादि को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वत राशि लेन–देन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री राहुल को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। समय 12:30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व

की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाह श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97 के सरकारी बोलेरो वाहन से मय चालक श्री छोटूलाल कानि0 नं0 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर के तथा श्री भोजराज सउनि, श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री शिवराज कानि. नं. 166 को दो अलग–अलग मोटर साईकिलों से व उनके आगे–आगे परिवादी श्री राहुल को स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना रवाना कर बजानिब आबकारी थाना, झालावाड़ की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12:40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी झालावाड़ के पास ही कुछ दूरी पर रूका तथा परिवादी श्री राहुल एवं ब्यूरो जाब्ता को भी वहीं रूकने के निर्देश दिये गये। सरकारी वाहन बोलेरो व मोटर साईकिलों को वहीं खानपुर मेगा हाईवे रोड़, झालावाड़ पर साईड में खड़ा किया तथा परिवादी राहुल को अपनी मोटर साईकिल से आबकारी थाने पर पहुंचकर आरोपीगणों से वार्ता कर रिश्वत राशि देने व वार्ता से पूर्व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करने तथा रिश्वत देने के पश्चात् पूर्व निर्धारित ईशारा करने की समझाईश कर आरोपीगणों के पास रिश्वत राशि देने हेतु उसकी मोटरसाईकिल से कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़ परिसर में पीछे की और स्थित आबकारी थाना झालावाड़ के लिये रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतन्त्र गवाहान, मय ब्यूरो स्टॉफ के परिवादी के पीछे–पीछे पैदल–पैदल रवाना होकर अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आबकारी थाना भवन के दाहिनी तरफ खड़े ट्रोले की आड़ में सरकारी गवाहान व ब्यूरो स्टॉफ तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सहायक जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के बगल में पेड़ की आड़ में छिपकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का इंतजार करने लगे। समय 12:55 पीएम पर परिवादी श्री राहुल ने आबकारी थाना, झालावाड़ परिसर के बायीं और स्थित सफेद रंग से पुते हुए क्वाटर के बाहर आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूंर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आबकारी थाना भवन के दाहिनी तरफ अतिरिक्त आबकारी अधिकारी के कार्यालय के बगल में खड़े ट्रोले की आड में पेड़ के नीचे छिपकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे का खड़े होकर इंतजार कर रहे ब्यूरो स्टॉफ व स्वतंत्र गवाहान को एकत्रित कर हमराह लेकर परिवादी के पास पहुंचा तथा परिवादी को पूर्व में रिश्वत लेनदेन वार्तालाप रिकॉर्ड करने हेतु सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर ब्यूरो कब्जे लिया गया। तत्पश्चात् परिवादी से आरोपीगणों द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने तथा रिश्वत राशि रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी श्री राहुल ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ साहब आबकारी थाना में नहीं मिलने पर मैं उनको तथा आरोपी श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी को तलाश करता हुआ आबकारी निरीक्षक वृत्त, झालावाड़ के कक्ष में पहुंचा तो वहां पर आरोपी श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी आबकारी वृत्त निरीक्षक वृत्त झालावाड़ के कक्ष में अकेला ही अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ कम्प्यूटर पर काम करता हुआ मिला। जिससे मैंने शराब की दुकान की मंथली की रिश्वत राशि के 4,000 रूपये श्री हुकमसिंह पीओ साहब को देने की कहने पर उसने पीओ साहब को ही देने के लिए कहा। इस पर मैंने कहा कि पीओ साहब तो मुझे आबकारी थाने में नहीं मिले है। इस पर आरोपी श्री योगेश प्रजापति ने श्री हुकमसिंह पीओ साहब को उनके मोबाईल पर कॉल कर आबकारी निरीक्षक वृत्त, झालावाड़ के कार्यालय कक्ष में बुलाया तो पीओ साहब तुरन्त ही आ वहां आ गये तथा वह वहां आकर आबकारी निरीक्षक की कुर्सी पर बैठ गये। उसके बाद मैंने 4,000रूपये रिश्वत राशि उनको देना चाही तो उन्होने श्री योगेश प्रजापति की और ईशारा कर उसको देने के लिए कहा तो मैं श्री योगेश प्रजापति को देना चाहा परन्तु उसने रिश्वत राशि स्वंय नहीं लेकर उसकी कम्प्यूटर की टेबल के साईड में रखे हुए प्रिन्टर के पास रखे हुए कागजों पर रखने का ईशारा किया जिस पर मैंने कागजों पर रिश्वत राशि के 4,000रूपये रख दिये। उसके बाद आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ साहब ने मुझे बाहर जाने का ईशारा करने पर मैं आबकारी निरीक्षक कक्ष से बाहर आ गया तथा उसके बाद बाहर आकर मैंने आपको रिश्वत राशि देने का पूर्व निर्धारित ईशारा करने पर आप सभी तुरन्त मेरे पास आ गये है। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान परिवादी के पीछे–पीछे सफेद रंग से पुते हुए क्वाटर के आगे वाले कक्ष में पहुंचा तो वहां कक्ष में रखी हुई दो कुर्सियों पर सामने व बायीं तरफ दो व्यक्ति बैठे हुए नजर आये। जिसमें सामने वाली कुर्सी पर बैठे सफेद रंग की शर्ट पहने सांवले से रंग के अधेड़ व्यक्ति की और ईशारा कर परिवादी श्री राहुल ने बताया कि साहब यही श्री हुकमसिंह पीओ साहब है तथा दूसरे युवक जिसकी कुर्सी के सामने की कम्प्यूटर टेबल पर बायीं और मॉनिटर तथा दायीं और प्रिन्टर रखा हुआ था उस कुर्सी पर बैठे हुए सांवले रंग के हल्की दाढ़ी मुंछों वाले युवक की और ईशारा कर बताया कि साहब यह श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर है। इन्होने अभी–अभी मुझसे रिश्वत राशि के 4,000रूपये के सम्बंध में वार्तालाप कर कम्प्यूटर टेबल पर रखे कागजों के ऊपर रखने का ईशारा कर रखवाकर बाहर रवाना कर दिया था। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह दोनों अत्यन्त घबरा गये तथा घबराकर अपनी–अपनी कुर्सियों से खड़े हो गये। जिन्हे तसल्ली देकर पुनः अपनी–अपनी कुर्सियों पर बैठे रहने को कहा गया तथा रूबरू स्वतंत्र गवाहान उनका नाम–पता पूछा तो सफेद

रंग की शर्ट पहने कक्ष में सामने की कुर्सी पर बैठे सांवले से अधेड़ युवक ने अपना नाम हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन सिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सांवतगढ़ थाना देवली जिला टोंक राज0 हाल प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ (राज0) होना बताया तथा बायीं और कम्प्यूटर टेबल के सामने की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ (राज0) होना बताया। आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ से कम्प्यूटर टेबल पर बायीं और रखे हुए प्रिन्टर के पास रखे हुए कागजों पर रखवायी गयी रिश्वत राशि के 4,000रूपये बाबत् पूछा गया कि उन्होने यह रिश्वत राशि परिवादी श्री राहुल से क्यों व किस उद्देश्य से मांगी व रखवायी गयी है तो उन्होने कहा कि मैंने कोई रिश्वत राशि नहीं ली है और ना ही मैंने राहुल से 4,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। इसका परिवादी श्री राहुल ने खण्डन करते हुए बताया कि साहब श्री हुकमसिंह पीओ साहब झूठ बोल रहे है। मैं लगभग एक वर्ष से खण्डिया चौराहा के निकट स्थित श्रीमती कुसम कंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु के नाम वर्ष 2023–24 के लिए आवंटित लाईसेंस शुदा अंग्रेजी शराब की दुकान पर सेल्समेन का कार्य कर रहा हूं। श्रीमती कुसम कंवर ने जरिये नौकरनामा मुझे दुकान पर शराब बैचने के लिए सेल्समेन नियुक्त कर रखा है। यह दुकान श्रीमती कुसम कंवर के पति श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु व उसके पार्टनर श्री महेन्द्र बना द्वारा चलाई जा है। श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी आबकारी थाना, झालावाड़ आये दिन शराब की दुकान पर आकर मुझसे प्रतिमाह 2,000रूपये मासिक बंधी की मांग करते है तथा मासिक बंधी नहीं देने पर शराब की दुकान पर केस बनाने की धमकी देते है। इस पर मैंने कहा कि साहब मैं तो सेल्समेन हूं। मैं मालिक से बात कर आपको जवाब दे दूंगा। इस पर मैंने यह बात श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु व श्री महेन्द्र बना को बताई तो उन्होने भी दुकान का लाईसेंस निरस्त होने व केस बनाने के डर की वजह से मुझे दो माह के 1500रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 3,000रूपये श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) को देने के लिए कहने पर मैंने अगस्त माह में 3,000रूपये श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) को मासिक बंधी के दे दिये थे। परन्तु 3,000रूपये मासिक बंधी लेने के बाद भी श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) ने मुझसे कहा कि अप्रेल महिने से ही हिसाब–किताब होगा। इस पर मैंने कहा कि साहब दुकान मालिक से बात करके आपका हिसाब कर देगें। उसके बाद मेरे द्वारा मासिक बंधी के पूरे रूपये नहीं देने पर श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश कम्प्यूटर ऑपरेटर द्वारा शराब की दुकान पर आकर मुझे कई बार धमकाया कि तू भी सुन ले और तेरे मालिक को भी बता देना और कहा कि तुम्हारी शराब की दुकान के अप्रेल से अक्टूंबर तक के 07 माह के हिसाब से 10,500रूपये बंधी के बकाया थे जिसमें से तुमने अभी तक केवल 3,000रूपये ही दिये है। शेष 7,500रूपये जल्दी ही नहीं दोगें तो देख लेना अब हमारे नये आबकारी अधिकारी जी भी आ गये है। जल्दी शेष मन्थली राशि के रूपये दे दो, नहीं तो तुम्हारे सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। तुम्हारी दुकान का केस बनाकर के ही बताउंगा। मैंने श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) साहब से हाथाजोड़ी की तथा कहा कि साहब बाकी के रूपये जल्दी ही दे देगें। दुकान पर पेनेल्टी लगने की वजह से 5–6लाख रूपये खर्च हो गये फिर भी दुकान मालिक से बात करके आपका हिसाब कर दूंगा। आप नाराज मत होवो। मुझे थोड़ा सा समय दो। इसके बावजूद भी वह मुझे धमकाकर चले गये। इसके बाद मेरे द्वारा मासिक बंधी के शेष 7,500रूपये नहीं देने पर आये दिन श्री योगेश प्रजापति के मोबाईल नं0 9571475414 से मेरे मोबाईल नं0 7727977888 पर कॉल कराकर या कभी–कभी अचानक दुकान पर आकर बंधी देने के लिए दबाव बना रहे है। इस पर मैंने शराब की दुकान के मालिक के कहने पर आपके कार्यालय में जाकर दिनांक 28.10.2023 को श्री हुकमसिंह पीओ साहब व श्री योगेश प्रजापति को रिश्वत राशि के 7,500रूपये लेते हुए ट्रेप कराने की रिपोर्ट दी थी। जिस पर आप द्वारा उसी दिन मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर देकर श्री देवदान सिंह जी के साथ–साथ आबकारी थाना झालावाड़ रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप करने के लिए भिजवाया था जिस पर श्री हुकमसिंह पीओ साहब ने 4,000रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। उसके बाद दिनांक 31.10.2023 को ट्रेप कार्यवाही कराने के लिए आपके साथ आबकारी थाना, झालावाड़ आये थे परन्तु श्री हुकमसिंह पीओ साहब के थाने पर मिलने पर मैं तलाश करता हुआ आबकारी निरीक्षक वृत्त, झालावाड़ के कक्ष में आया तो वहां श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर मिला जिसने श्री हुकमसिंह पीओ साहब को अपने मोबाईल से कॉल कर बुलाने पर वह आ गये तथा उनके द्वारा श्री योगेश प्रजापति को रिश्वत राशि के 4,000रूपये देने का ईशारा करने पर मैंने श्री योगेश प्रजापति को रिश्वत राशि के 4,000रूपये देना चाहा परन्तु उसने 4,000रूपये रिश्वत राशि हाथ में नहीं लेकर उसके सामने कम्प्यूटर टेबल पर रखे हुए कागजों पर रखवायी उसके बाद श्री हुकमसिंह पीओ साहब ने मुझे बाहर जाने का ईशारा करने पर मैं आबकारी निरीक्षक कक्ष से बाहर आकर आपको ईशारा किया था जिस पर आप द्वारा इनको ट्रेप कर कम्प्यूटर टेबल पर रखे हुए कागजों के ऊपर से रिश्वत राशि बरामद कर ली है। इस प्रकार आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ द्वारा मुझे डरा धमकाकर दुकान का केस बनाने का कहकर रिश्वत राशि के 10,500रूपये की मांग की है जिसमें 3,000रूपये इनके द्वारा अगस्त माह में ही दुकान पर आकर रिश्वत के रूप में मासिक बंधी के ले लिये है और शेष 7,500रूपये मासिक बंधी के देने के लिए आये दिन परेशान किया जा रहा है। तत्पश्चात् आरोपी श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी से परिवादी श्री राहुल से

कम्प्यूटर टेबल के ऊपर रखे हुए कागजों पर रखवायी गयी रिश्वत राशि के 4,000रूपये के बारे में पूछा गया तो उसने रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि मैंने यह रिश्वत राशि श्री हुकमसिंह पीओ साहब के द्वारा ईशारा करने पर मेरी टेबल पर रखवायी है। श्री हुकमसिंह पीओ साहब मुझसे शराब की दुकानों से मासिक बंधी वसूल करने के लिए भेजते है तथा दुकानों के सेल्समेन व मालिकों को मोबाईल से कॉल करवाते है। इस प्रकार मैंने यह रिश्वत राशि मेरे लिए नहीं लेकर श्री हुकमसिंह पीओ साहब के लिए उनके ईशारा करने पर रखवायी है। मैं आबकारी निरीक्षक कक्ष में अपने कम्प्यूटर पर काम कर रहा था उस समय श्री राहुल मेरे पास आया और बताया कि पीओ साहब आबकारी थाने में नहीं मिले है उन्हे रूपये देने है। इस पर मैंने श्री हुकमसिंह पीओ साहब को उनके मोबाईल पर कॉल कर बुलाया था। जिस पर वह तुरन्त आ गये थे। उनके द्वारा ईशारा करने पर रिश्वत राशि के 4,000रूपये मैंने अपनी कम्प्यूटर टेबल पर रखे हुए प्रिन्टर के पास कागजों के ऊपर रखने का ईशारा किया था। उसके बाद पीओ साहब द्वारा राहुल को बाहर जाने का ईशारा करने पर वह चला गया था और उसके कुछ देर बाद ही आप सभी लोग आ गये। मैंने राहुल से ना तो कोई रिश्वत राशि मांगी है और ना ही रिश्वत राशि ली है। श्री हुकमसिंह पीओ साहब मुझसे आये दिन शराब की दुकानों से मासिक बंधी की वसूली करने के लिए मेरे मोबाईल से कॉल करवाते रहते है। मुझसे गलती हो गयी आयन्दा ध्यान रखूंगा। मुझे माफ करें। परिवादी श्री राहुल द्वारा आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ के कथनों के खण्डन के दौरान आरोपी श्री योगेश प्रजापति द्वारा दिये गये कथनों का भी उल्लेख किया जा चुका है। अतः पृथक से आरोपी श्री योगेश प्रजापति द्वारा दिये गये कथनों का खण्डन आवश्यक प्रतीत नहीं होता है। चूंकि दोनों ही आरोपियों द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की है। अतः दोनों ही आरोपियों के हाथों की धुलाई की कार्यवाही नहीं करायी गयी है। आरोपी श्री योगेश प्रजापति की कम्प्यूटर टेबल के बायीं और प्रिन्टर के पास टेबल पर रखे हुए कागजों पर रखे हुए रिश्वत राशि के 4,000रूपयों को उठाने के स्वतंत्र गवाह श्री दीपक मोदी को निर्देश देने पर उसके द्वारा कागज के ऊपर से उठाकर 500–500रूपये के 08 नोट पेश किये। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री हर्ष प्रजापति को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त नोटो का मिलान करने निर्देश देने पर दोनों गवाहान ने बरामद नोटो के नम्बर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो का मिलान कर हूबहू नम्बरी रिश्वती राशि वाले 4,000रूपये होना बताने पर नोटो के नम्बर फर्द में अंकित किये जा रहे है, जो निम्न प्रकार है :–

1.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251441
2.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251471
3.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251472
4.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251473
5.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251474
6.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251475
7.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251476
8.	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	9VK 251477

उक्त रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के 08 बरामदशुदा नोटों को एक पीले रंग के कागज के लिफाफे में रखकर मौके पर जब्त कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। उक्त बरामद नोटो के अलावा आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ व श्री योगेश प्रजापति की तलाशी के दौरान कोई नकदी अथवा कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली जिसे बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया जावें। तत्पश्चात् रिश्वत राशि रखे गये स्थान कागज के धोवन के लिए एक सफेद रंग के साफ डिस्पोजल गिलास में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। फिर रिश्वत राशि रखे हुए कागज पर उक्त घोल में कपड़े की चिन्दी को डूबोकर कागज पर रगड़कर घोल में डुबोया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का टी–1, टी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया तथा कागज व कपड़े की चिन्दी को धूप में सुखोकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत एक सफेद रंग की कपड़े की थेली में रखकर सीलमोहर चिट कर मार्क सी दिया गया जाकर कब्जा ब्यूरो लिया गया। सफेद रंग के प्रयुक्त किये गये पारदर्शी डिस्पोजल गिलास को मौके पर ही नष्ट किया गया। पूर्व में परिवादी श्री राहुल से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया जा चुका है, जिसे ब्यूरो कार्यालय के कम्प्यूटर से सुनकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री राहुल का नौकरनामा, लाईसेंसशुदा दुकान का लाईसेंस तथा किरायानामा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही की गई। अब तक ट्रेप की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। समय 03:55 पीएम पर आरोपी श्री हुकमसिंह से अपने निवास स्थान के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं थाना आबकारी भवन में एक कमरे में निवास करता हूं। इस पर आरोपी श्री योगेश प्रजापति को ब्यूरो स्टॉफ की निगरानी में घटनास्थल पर छोड़कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान आरोपी श्री हुकमसिंह व ब्यूरो स्टॉफ के श्री

मोहम्मद आफाक हैड कानि0 97, श्री शिवराज कानि0 166 को साथ लेकर आरोपी के बताये अनुसार उसके निवास कक्ष में पहुंचा। समय का अभाव होने एवं साक्ष्य नष्ट होने की सम्भावना को दृष्टिगत रखते हुए तलाशी वारण्ट माननीय न्यायालय से प्राप्त किया जाना सम्भव नहीं होने तथा आरोपी के आवास में बहुमूल्य सम्पत्ति, नकदी, स्वर्ण आभूषण मिलने की सम्भावना के दृष्टिगत आरोपी के सरकारी आवास कमरे की खाना तलाशी लिया जाना आवश्यक होने से नियमानुसार खाना तलाशी प्रारम्भ की गई। खाना तलाशी में इस्तेमाली जेन्टस व लेडिज कपड़े व खाने–पीने के सामान, ओढ़ने–बिछाने के बिस्तर तथा एक कोटी की जेब में व एक पर्स में से कुल 24,600रूपये व दो मोबाईल वीवो कम्पनी के बरामद हुए थे। जिसकी फर्द खाना तलाशी पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी तथा फर्द खाना तलाशी की एक प्रति आरोपी श्री हुकमसिंह को दी गयी। बाद खाना तलाशी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान तथा ब्यूरो स्टॉफ व आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। समय 04:30 पीएम पर इस समय मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राहुल के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका व हालात मौका तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:00 पीएम पर आरोपी श्री हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन सिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सांवतगढ़ थाना देवली जिला टोंक राज0 हाल प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक मोदी से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई नकदी अथवा कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली ना ही कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार आरोपी की पत्नि श्रीमती फूलन कंवर को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:10 पीएम पर आरोपी श्री योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ (राज0) को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिफ्तार किया गया। आरोपी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री दीपक मोदी से लिवायी गयी तो आरोपी के पहने हुए कपड़ों के अलावा कोई नकदी अथवा कोई महत्वपूर्ण वस्तु नहीं मिली ना ही कब्जा ब्यूरो ली गई। आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके बताये अनुसार आरोपी स्टाफ के श्री किशन कश्यप एएओ को दी गयी। उक्त कार्यवाही की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 05:20 पीएम पर आरोपी श्री हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन सिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सांवतगढ़ थाना देवली जिला टोंक राज0 हाल प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 28.10.2023 को आबकारी थाना, झालावाड़ में परिवादी श्री राहुल से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तथा दिनांक 31.10.2023 को आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय, झालावाड़ के कक्ष में परिवादी से रिश्वत लेनदेन के समय वार्तालाप हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री राहुल द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उक्त दोनों आवाजों का एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर दिया गया तो आरोपी श्री हुकमसिंह ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:30 पीएम पर आरोपी श्री योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ (राज0) को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी के समक्ष, आरोपी को उसके संवैधानिक अधिकारों से अवगत करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को बताया कि दिनांक 28.10.2023 को आबकारी थाना, झालावाड़ में परिवादी श्री राहुल से हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप तथा दिनांक 31.10.2023 को आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय, झालावाड़ के कक्ष में परिवादी से रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई थी, उक्त दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री राहुल द्वारा उसको एसीबी कार्यालय झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया था। उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर दिया गया तो आरोपी श्री योगेश प्रजापति ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि "मैं अपनी आवाज का स्वैच्छा से नमूना नहीं देना चाहता हूँ " अंकित कर हस्ताक्षर किये। जिसको शामिल पत्रावली किया गया। समय 05:45 पीएम पर सम्पूर्ण कार्यवाही के पश्चात् आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय, झालावाड़ के कक्ष से परिवादी श्री राहुल को अपनी मोटरसाईकिल से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुंचे की हिदायत कर रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान व जाब्ता तथा गिरफ्तार शुदा आरोपीगण श्री हुकमसिंह व श्री योगेश प्रजापति को साथ लेकर मय ट्रेप बॉक्स व जब्त शुदा आर्टिकल्स व रिश्वत राशि 4,000रूपये का लिफाफा व खाना तलाशी में जब्त राशि 24,600रूपये व दो मोबाईल के मय

सरकारी वाहन मय चालक व मोटरसाईकिलों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 05:55 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, ब्यूरो स्टाफ मय आरोपीगण के साथ सरकारी वाहन व मोटरसाईकिलों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। जहां पर परिवादी श्री राहुल पूर्व से ही इंतजार करता हुआ उपस्थित मिला। ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके से जब्त शुदा रिश्वत राशि के 4,000रूपये तथा धोवन के सैम्पल, रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर एवं खाना तलाशी में मिली राशि 24,600रूपये व दो मोबाईल इत्यादि श्री शिवराज कानि0 नं0 166 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। समय 06:00 पीएम पर परिवादी श्री राहुल व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री शिवराज कानि. नं. 166 को मौके पर परिवादी श्री राहुल द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किये गये तथा मालखाना में सुरक्षित रखवाये गये रिकॉर्डेड वार्ता सम्बंधी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को पुनः श्री शिवराज कानि0 नं0 166 के जरिये मालखाना से निकलवाया गया। जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि दिनांक 31.10.2023 को परिवादी श्री राहुल एवं आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी के मध्य आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय, झालावाड़ के कक्ष में रिश्वत लेनदेन वार्तालाप हुई है जिसे परिवादी श्री राहुल द्वारा उसको सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में उसके द्वारा वार्तालाप को रिकॉर्ड किया गया है। अतः उक्त वार्तालाप को श्री देवदान सिंह कानि0 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री राहुल के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, तो रिश्वत लेनदेन वार्ता में आवाजों की पहचान कर परिवादी श्री राहुल ने एक आवाज स्वंय की व दूसरी आवाज आरोपी श्री हुकमसिंह पीओ तथा तीसरी आवाज श्री योगेश कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी की होना बताया। वार्ता की हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत लेनदेन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06:35 पीएम पर आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर संविदाकर्मी को वास्ते सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बंद करवाने हेतु तहरीर देकर जरिये श्री भोजराज सउनि, श्री गोपाल लाल हैड कानि. 26 के साथ जरिये सरकारी बोलेरो वाहन से भिजवाया गया जो समय 06:50 पीएम पर आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली झालावाड़ की हवालात में बन्द करवाकर कार्यालय में हाजिर आये। समय 07:00 पीएम पर दिनांक 28.10.2023 को परिवादी श्री राहुल एवं आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्तालाप हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप दिनांक 31.10.2023 को समय 09.00 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 31.10.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री राहुल एवं आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी के मध्य आपस में वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 31.10.2023 को समय 06.00 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर पांच पैन ड्राईव तैयार करवाये गये, जिसमें एक पेन ड्राईव आरोपी श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) के लिये, एक पेन ड्राईव आरोपी श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर संविदाकर्मी के लिये, एक पेन ड्राईव नमूना आवाज हेतु तथा एक पेन ड्राईव माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर चार पेन ड्राईव को सील मोहर किया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर अनसिल्ड रखा गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk 16GB micro SD HC I 7376DRFRX22W BL MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपड़े की थेली में रखकर शिल्डचिट कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर प्रभारी मालखाना को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त कार्यवाही की फर्द डबिंग तैयार करवाई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। समय 07:30 पीएम पर परिवादी श्री राहुल एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री हर्ष प्रजापति व श्री दीपक मोदी को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही रूखसत किया गया।

सम्पूर्ण कार्यवाही व हालात से पाया गया कि दिनांक 28.10.2023 को श्री राहुल पुत्र श्री सूरजमल जाति तेली उम्र 28 वर्ष निवासी 4, बसेड़ा मोहल्ला, झालावाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था। परिवादी श्री राहुल के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन करने पर परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना व उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि उसके द्वारा सेल्समेन के रूप में विगत एक वर्ष से खण्डिया चौराहा, झालावाड़

के निकट स्थित श्रीमती कुसम कंवर पत्नि श्री जितेन्द्र सिंह उर्फ चंगु के नाम से वर्ष 2023–24 के लिए आवंटित लाईसेंसशुदा अंग्रेजी शराब की दुकान पर शराब बेचने का कार्य किया जा रहा है। श्रीमती कुसम कंवर ने जरिये नौकरनामा उसको शराब बैचने के लिए रख रखा है। आरोपीगणों द्वारा आये दिन शराब की दुकान पर आकर मासिक बंधी के लिए उसको परेशान किया जा रहा था। जिसकी जानकारी उसके द्वारा शराब दुकान के मालिक को दी गई तथा परिवादी द्वारा पूर्व में अगस्त माह में आरोपी श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी (पीओ) को उसके द्वारा शराब की दुकान पर 3,000रूपये रिश्वत राशि दी जा चुकी है। आरोपीगण द्वारा प्रति माह 1500रूपये के हिसाब से विगत 07 माह की मासिक बंधी के रूप में 10,500रूपये में से 3,000रूपये पूर्व में प्राप्त करने के बाद शेष 7,500रूपये मासिक बंधी नहीं देने पर शराब की दुकान का केस बनाने व लाईसेंस निरस्त कराने की धमकी देकर परेशान किया जा रहा था। जिस पर परिवादी द्वारा दुकान के मालिक को जानकारी दी जाने पर उनके द्वारा परिवादी को आरोपीगणों के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही कराने के लिए अधिकृत किया गया। इस पर परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दिनांक 28.10.2023 को ब्यूरो कार्यालय में प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा उसी दिन रिश्वत मांग का सत्यापन करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन में आरोपीगणों द्वारा 4,000रूपये रिश्वत राशि देने पर सहमति दी गई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से 4,000रूपये रिश्वत मांग की पुष्टि होती है। आरोपीगण श्री हुकमसिंह प्रहराधिकारी आबकारी थाना, झालावाड़ व श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) द्वारा परिवादी श्री राहुल से दिनांक 31.10.2023 को आबकारी निरीक्षक वृत्त कार्यालय, झालावाड़ के कार्यालय निरीक्षक कक्ष में रिश्वत राशि लेनदेन के समय 4,000रूपये के सम्बंध में वार्तालाप कर श्री योगेश प्रजापति कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) की टेबल पर रखे कम्प्यूटर के बगल में प्रिन्टर के पास टेबल पर रखे हुए कागजों के ऊपर रिश्वत राशि रखने का कहने पर परिवादी श्री राहुल द्वारा रिश्वत राशि के 4,000रूपये कागजों के ऊपर रखना, जहां से रिश्वत राशि के 4,000रूपये बरामद होना। रिश्वत राशि बरामदगी स्थल कागज का धोवन लिये जाने पर धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त होना तथा ट्रेप कार्यवाही के दौरान संकलित साक्ष्यों व मौके पर घटित पारिस्थितिजन्य साक्ष्यों से दोनों आरोपीगणों की रिश्वत राशि मांग करने व लेनदेन करने में आपसी मिलिभगत होना पाया जाने पर जरिये फर्द गिरफ्तारी गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। परिवादी श्री राहुल का नौकरनामा, लाईसेंसशुदा दुकान का लाईसेंस तथा किरायानामा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 28.10.2023 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 31.10.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट इत्यादी से आरोपीगण का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री हुकमसिंह पुत्र स्व0 श्री गोवर्धन सिंह जाति मीणा उम्र 59 वर्ष निवासी सांवतगढ़ थाना देवली जिला टोंक राज0 हाल प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर) आबकारी थाना, झालावाड़ (राज0) व श्री योगेश प्रजापति पुत्र श्री देवीशंकर जाति कुम्हार उम्र 33 वर्ष निवासी सुभाष कॉलोनी के पीछे, मुरारी भवन के पास, झालावाड़ हाल कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी) आबकारी वृत्त, झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंर्तगत धारा 7,7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 120बी आईपीसी का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो जयपुर को प्रेषित की जावेगी।

(भवानी शंकर मीणा)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री भवानी शंकर मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री हुकमसिंह पुत्र स्व. श्री गोवर्धन सिंह, प्रहराधिकारी (पेट्रोलिंग ऑफिसर), आबकारी थाना, झालावाड़ एवं 2. श्री योगेश प्रजापती पुत्र श्री देवीशंकर, कम्प्यूटर ऑपरेटर (संविदाकर्मी), आबकारी वृत्त, झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 285/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

1/11/23

(विशनाराम)
पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 2996-3000 दिनांक 01.11.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर।
3. जिला आबकारी अधिकारी, झालावाड़।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।